न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1150 / 2024

अनवान : –

1. शोभाराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम

1. जगदीश पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. नेतराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. नरसिंह पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. मेघाराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. मामचन्द पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
6. रतिराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रामचन्द्र पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 16/12/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 913 / 834 के खसरा नं. 23 / 5 की कुल 10.1170 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक का 1 / 4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6, 7 प्रत्येक का 1 / 12 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है। भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण में खाता, सींव व लगान से सम्बन्धित हमेशा तनाजात बना रहता है तथा लड़ाई झगड़ा बना रहता है जिस कारण से वादी मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग करवाकर अलग से खाता तकसीम करवाना चाहता है। वादी ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत करके व धन खर्च करके उपजाऊ व समतल बनाया हुआ है तथा अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करता चला आ रहा है इसलिए मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त वादी उसकी साथ वाली चिपती हुई भूमि में से की जाकर न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:31:30 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 913/834 के खसरा नं. 23/5 की कुल 10.1170 है0 भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6, 7 ने वादी की तरफ श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी संख्या 5 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः प्रतिवादी स0 5 विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गय वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 913/834 के खसरा नं. 23/5 की कुल 10.1170 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. शोभाराम पुत्र चेतनराम हिस्सा– पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा नं. 23/5 की 2.530 है. कुल 2.530 है.
2. मामचन्द पुत्र चेतनराम हिस्सा पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23/5 की 2.529 है. कुल 2.529 है.
3. जगदीश पुत्र दानाराम हिस्सा पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपुरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23/5 की 0.8430 है. कुल 0.8430 है.
4. नेतराम पुत्र दानाराम हिस्सा पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा नं. 23/5 की 0.8430 है. कुल 0.8430 है.
5. नरसिंह पुत्र दानाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23/5 की 0.84[illegible] है. कुल [illegible] है.
6. मेघाराम पुत्र दानाराम हिस्सा– [illegible] खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23/5 की 0.84[illegible]
7. रतिराम पुत्र दानाराम हिस्सा पूर्ण जाति– मे[illegible]ल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23/5 की 0.8430 है. कुल 0.8430 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:31:30 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

8. रामचन्द्र पुत्र दानाराम हिस्सा पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23/5 की 0.8430 है. कुल 0.8430 है.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 16/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:31:30 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1150 / 2024

अनवान : –

1. शोभाराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. नेतराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. नरसिंह पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. मेघाराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. मामचन्द पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
6. रतिराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर ।
7. रामचन्द्र पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1150 सन 2025 निर्णय दिनांक 16/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 913 / 834 के खसरा नं. 23 / 5 की कुल 10.1170 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. शोभाराम पुत्र चेतनराम हिस्सा– पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा नं. 23 / 5 की 2.530 है. कुल 2.530 है.
2. मामचन्द पुत्र चेतनराम हिस्सा पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23 / 5 की 2.529 है. कुल 2.529 है.
3. जगदीश पुत्र दानाराम हिस्सा पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपुरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23 / 5 की 0.8430 है. कुल 0.8430 है.
4. नेतराम पुत्र दानाराम हिस्सा पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा नं. 23 / 5 की 0.8430 है. कुल 0.8430 है.
5. नरसिंह पुत्र दानाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23 / 5 की 0.8430 है. कुल 0.8430 है.
6. मेघाराम पुत्र दानाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23 / 5 की 0.8430 है. कुल–0.8430 है.
7. रतिराम पुत्र दानाराम हिस्सा पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23 / 5 की 0.8430 है. कुल 0.8430 है.
8. रामचन्द्र पुत्र दानाराम हिस्सा पूर्ण जाति– मेघवाल सा. दलपतपूरा खातेदार ग्राम कानसर खसरा न. 23 / 5 की 0.8430 है. कुल 0.8430 है.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अंतिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 16/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:31:30 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर